बिहार सरकार

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

सकारण आदेश

संख्या–1/स्था0 (21) 51/2026–................/पटना–15, दिनांक–................../2026

सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या–10595/2026 डॉ0 प्रभु नारायण यादव बनाम बिहार सरकार एवं अन्य मामले में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–28.07.2026 को पारित न्यायादेश का मुख्य कार्यकारी अंश निम्नवत् है:–

"As such, in the light of submissions made, the Secretary, Department of Animal and Fisheries Resources, New Secretariat, Patna (Respondent no. 2) is hereby directed to pass a reasoned and speaking order on the petitioner's representation dated 29-06-2026 in accordance with law, within 60 days from the date of production of this order."

2. विभागीय अधिसूचना संख्या–3260–सह–पठित ज्ञापांक–3261, दिनांक–28.06.2026 के क्रम संख्या–350 पर अंकित डॉ0 प्रभु नारायण यादव, सहायक प्रबंधक, क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, भागलपुर से स्थानांतरित करते हुये उनके मूल कोटि के पद भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, गोकुला, पश्चिम चम्पारण के पद पर पदस्थापित किया गया।

3. तत्पश्चात डॉ0 प्रभु नारायण यादव द्वारा दिनांक–29.06.2026 को आवेदन समर्पित किया गया। डॉ0 यादव द्वारा दिनांक–29.06.2026 को समर्पित आवेदन में अंकित किया गया है कि "मैं जूलाई 2024 से सहायक प्रबंधक, कार्यालय सहायक निदेशक (कुक्कुट), क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, भागलपुर के पद पर पदस्थापित होकर कार्यरत हूँ, इस पद पर मेरी कार्य अवधि दो वर्ष की है। विभागीय अधिसूचना संख्या–3260–सह–पठित ज्ञापांक–3261, दिनांक–28.06.2026 के क्रम संख्या–350 द्वारा मेरा स्थानांतरण भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, गोकुला, पश्चिम चम्पारण के पद पर कर दिया गया है। जबकि मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के संकल्प संख्या–434, दिनांक–01.03.2007 एवं तद्नुरूप विभागीय पत्रांक–3122, दिनांक–19.06.2026 में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान किया गया है कि तीन वर्ष या तीन वर्ष से अधिक अवधि में एक ही पद पर पदस्थापित पदाधिकारियों को स्थानांतरण हेतु योग्य माना गया।" उक्त के आलोक में डॉ0 यादव द्वारा अनुरोध किया गया कि "स्थानांतरण स्थगित किया जाय अथवा भागलपुर के निकटतम जिला खगड़िया, बांका एवं मुंगेर में रिक्त पशु चिकित्सालय में पदस्थापित किया जाय।"

4. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के संकल्प संख्या–434, दिनांक–01.03.2007 द्वारा मार्गदर्शित है कि पदाधिकारी/कर्मचारी तीन वर्ष की अवधि पूरी कर चुके हैं, किसी विशेष पद या स्थान के लिए यह अवधि दो वर्ष भी हो सकती है। विभागीय पत्रांक–3122, दिनांक–19.06.2026 के माध्यम से स्थानांतरण एवं पदस्थापन संबंधी दिशा–निर्देश परिचालित किया गया कि पूर्व में वैसे सरकारी सेवक, जिनको बिना किसी कारण के गृह जिला में पदस्थापन किया गया है, उनको भी इसके तहत विकल्प दिया जाना अनिवार्य होगा। वैसे सरकारी सेवक, जो वर्तमान में उच्चतर प्रभार प्राप्त नहीं किये हैं एवं वरीय पद पर पदस्थापित हैं, उनके द्वारा भी विकल्प दिया जायेगा। पदाधिकारी को विहित प्रपत्र में पूरा पदनाम स्थान सहित अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।

5. उल्लेखनीय होगा कि डॉ0 प्रभु नारायण यादव का गृह जिला भागलपुर है एवं ये मूल कोटि (भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी एवं समकक्ष) के पदाधिकारी हैं, जो अपने ही कोटि वेतनमान में भागलपुर जिला में ही सहायक प्रबंधक, क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, भागलपुर के वरीय पद पर पदस्थापित थें। विभागीय पत्रांक–3122, दिनांक–19.06.2026 द्वारा परिचालित दिशा–निर्देश के आलोक में डॉ0 यादव का Google form के माध्यम से आवेदन प्राप्त नहीं है।

6. डॉ0 यादव द्वारा दिनांक–29.06.2026 को सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना के समक्ष समर्पित अभ्यावेदन में अंकित विकल्पों के आलोक में विभागीय संशोधन/शुद्धि पत्र संख्या–3309, दिनांक–30.06.2026 के माध्यम से डॉ0 यादव का पदस्थापन स्थल, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, गोकुला, पश्चिम चम्पारण को संशोधित करते हुये भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, बंदेहरा, खगड़िया किया गया। डॉ0 यादव द्वारा दिनांक–20.07.2026 को उक्त पद पर प्रभार ग्रहण कर लिया गया है।

अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि डॉ0 प्रभु नारायण यादव द्वारा सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना के समक्ष दिनांक–29.06.2026 को समर्पित अभ्यावेदन निष्पादित किया जा चुका है।

14/8/2026
(शीर्षत कपिल अशोक)
सचिव।

ज्ञापांक :–1/स्था0 (21) 51/2026– 4472 /पटना–15, दिनांक– 17/08/2026

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, भागलपुर क्षेत्र, भागलपुर/जिला पशुपालन पदाधिकारी, खगड़िया/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–05, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना/डॉ0 प्रभु नारायण यादव, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, बंदेहरा, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/8/2026
सचिव,
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग।